संख्या-320/2020/523/22-2-2020-17(168)/20

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2020*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी फारूख पुत्र श्री मोहम्मद हसन, निवासी जनपद-गाजियाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 20.05.2020, दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी फारूख पुत्र श्री मोहम्मद हसन, जो नाहल, थाना-मसूरी, जनपद-गाजियाबाद का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 28.06.2007 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1098/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-04 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15.10.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.02.2020 तक 11 वर्ष 09 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 15 वर्ष 02 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुन: अपराध किये जाने की संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित क्रिमि0 रिट पिटिशन संख्या-2051-2054/2017 दिलशाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2019 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी फारूख (बन्दी संख्या-48269) पुत्र श्री मोहम्मद हसन, निवासी जनपद-गाजियाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-320/2020/523(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in